Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 11, Issue 1 | May 2023 - October 2023 | pp. 34-38

पंचायती राज पर गांधी के विचार

डॉ. देवकान्ता शर्मा

आचार्य, लोक प्रशासन

मा.ला. वर्मा राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा (राजस्थान)

शोध सारांश

प्राचीन काल से अद्यतन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कई परिवर्तन आए। यहाँ तक कि प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप भी बदलता रहा। कभी राजतंत्र तो अब लोकतंत्र और राजतंत्र में भी लोकतांत्रिक विचार विद्यमान थे, किन्तु कोई भी प्रशासकीय परिवर्तन ग्रामीण व्यवस्था को इतना प्रभावित नहीं कर पाया कि उसका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाए। ग्रामीण समाज में बुजुर्ग मिल जुल कर निर्णय लेते रहे और उन निर्णयों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता रहा। किन्तु ग्रामीण समाज की मूल समस्याएँ यथावत रही। अशिक्षा, पानी, बिजली का अभाव, सड़कें न होना, रूढ़िगत मानसिकता के कारण नए आविष्कारों से वंचित होना, राजनीतिक जागृति का सीमित होना आदि कुछ ऐसे अभाव थे, जिन्होंने ग्रामीण विकास को अवरुद्ध रखा। ग्रामीण विकास के लिए जो सर्वप्रथम आवश्यकता थी कि ग्रामीणों में राजनीतिक चेतना का जन्म हो, वे स्वयं के लिए निर्णय ले सकें, नीतियाँ बना सके और उन्हें क्रियान्वित कर सके। इस सन्दर्भ में गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था पर व्यापक जोर दिया और कहा कि पंचायती राज से ही शासन गाँवों में पहुंचेगा और इससे ग्राम समृद्ध होंगे। इस शोध पत्र में पंचायती राज व्यवस्था पर गांधी के विचारों का मूल्यांकन किया जायेगा।

संकेताक्षर—*ग्रामीण विकास, स्वराज, पंचायती राज, आत्मनिर्भरता, अहिंसा, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण*

प्रस्तावना

भारत, गाँवों का देश है जहाँ की कृषि प्रधानता इस वैश्विक समाज में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका में है, किन्तु फिर भी ग्रामीण समाज का उतना विकास नहीं हुआ, जितना आजादी के बाद शहरी समाज का हुआ। विकास के समस्त संसाधनों का विनिमय शहरों की ओर होने से, शहर तकनीक के जंजाल में फंस गए हैं और गाँव विकास के लिए सड़क, पानी, बिजली का इन्तजार कर रहे है। गांधी ने अपने जीवन काल में ग्रामीण विकास पर बल देते हुए ग्राम स्वराज का स्वप्न देखा था। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर, गांधी ने भारत का वर्ष भर दौरा किया और सत्ता के अधीन भारत के गाँवों की दुर्दशा देखी। गांधी के वेदनापूर्ण उद्गार व्यक्त करते हुए कहा "हमारे गाँव तुच्छ हो गए है क्योंकि हम सच्चा अर्थशास्त्र एवं सच्चा समाज शास्त्र नहीं जानते है।" (असली स्वराज्य, पृ. 8) ब्रिटिश प्रतिनिधि मिस्टर कर्टिस ने 1918 में भारत यात्रा करते हुए, गाँवों के बारे में कहां था कि दूसरे देशों के गाँवों के साथ हिन्दुस्तान के गाँवों की तुलना करते हुए ऐसा जान पड़ा, मानो कि हिन्दुस्तान के गाँव घूर (कूड़ा करकट एकत्रित करने का स्थान) पर बसाए गए है। (ग्राम सेवा, पृ. 11) गाँवों की स्थिति पर उक्त विचारों में कड़वाहट तो है किन्तु सत्य को दरकिनार नहीं किया जा सकता, इसीलिए गांधी ने ग्राम-स्वराज पर बल देते हुए, पंचायती राज संस्था को सशक्त करने पर अपने विचार प्रस्तुत किए। पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए गांधी ने केन्द्रीयकरण के स्थान पर विकेन्द्रित व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की। गांधी के अनुसार यदि भारत को अपना विकास अहिंसा की दिशा में करना है तो उसे केन्द्रीय सत्ता

पर निर्भरता छोड़नी होगी और सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना होगा। केन्द्रीकरण की नीति अपनाने पर, उसको कायम रखने के लिए हिंसा बल की अनिवार्यता होगी। अतः भारत को ग्राम प्रधान बनाना होगा और गाँवों को सशक्त और सबल बनाने से किसी प्रकार का कोई खतरा या आशंका नहीं होगी, जबकि यदि भारत शहर प्रधान होगा तो अत्यन्त शक्ति सम्पन्न जल, थल एवं वायु सेना के होते हुए भी सदैव विदेशी आक्रमण का भय रहेगा (हरिजन, 30 दिसम्बर, 1939, पृ. 391)

गांधी की दृष्टि में राजनीतिक सत्ता अपने आप में साध्य नहीं है। वह नागरिकों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की सर्वांगीण प्रगति हेतु साधन मात्र है। आरम्भिक अवस्था में राजनीतिक व आर्थिक दोनों स्तर हेतु आदर्श अवस्था, पंचायती राज है। गांधी के अनुसार यदि गाँव सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धान्त पर आधारित ग्राम पंचायतों द्वारा शासित होंगे तो इसी में भारत का विकास निहित है। पंचायती राज व्यवस्था में वह सब कुछ है जो जानना चाहती है। यह व्यवस्था आत्मानिर्भर है। ये ऐसी संस्थाएँ है जहाँ मनुष्य अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। पंचायती राज व्यवस्था मानव विकास की अधिकतम संभावना प्रदान करती है और इन्हीं से लोकतंत्र की जड़े मजबूत होगी। (वही, हरिजन, पृ. 391) गांधी ने पंचायती राज के स्वरूप पर चर्चा करते हुए कहा कि पंचायतों के प्रबंधन हेतु पांच व्यक्ति होंगे, जिनका निर्वाचन एक वर्ष हेतु होगा। यह निर्वाचित व्यक्ति पंचायती राज के केन्द्र में होंगे। ग्रामीणों से अपेक्षा की गई है कि वे बैठकों में नियमित रूप से आए एवं गाँवों के मसलों पर विचार-विमर्श करें। ग्रामीण मिल जुल कर ग्राम उद्योग, कृषि उत्पादन, ग्राम विकास के दायित्व, योजना निर्माण, योजना क्रियान्वयन जैसे जनहितकारी मुद्दों पर अपने सुझाव रखें एवं उनमें गम्भीरता से रुचि लें। (गांधी और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, पृ. 48) गांधी ने समानान्तर राजनीतिक इकाई एवं आर्थिक स्वायत्त के रूप में ग्रामीण गणराज्यों की स्थापना का सुझाव दिया। उनके अनुसार ग्रामीण इकाई का आकार ऐसा होना चाहिए कि उसमें सभी गाँव निवासियों को निर्णय प्रक्रिया में प्रत्यक्षतः सहभागी होने का अवसर मिल सके। गाँव से भाषाविद्, शोधकर्मी जैसे प्रतिभावान् व्यक्ति उभरेंगे। (पंचायती राज, पृ. 16) महात्मा गांधी के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था के विकास के लिए स्थानीय संसाधनों का प्रयोग ही मूलभूत रूप से करना चाहिए। ग्राम सभाओं एवं पंचायतों को इस प्रकार सुसंगठित किया जाना चाहिए कि वे कृषि एवं उद्योगों के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को पहचान सके। उन स्थानीय संसाधनों के प्रयोग से ही गाँव आत्मनिर्भर बन पायेंगे। गाँवों के विकास के लिए यह आत्मनिर्भरता अति आवश्यक है, जिसमें सबकी भागीदारी हो। गांधी लिखते है कि "जब तक सत्ता सभी के द्वारा साझा नहीं की जाती तब तक लोकतंत्र एक असंभव अवस्था बन जाती है परन्तु लोकतंत्र को भीड़तंत्र में परिवर्तन न होने दे।" (गांधी और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, पृ.88) पंचायती राज संस्थाओं के सन्दर्भ में गांधी ने एक प्रस्ताव भी रखा जिसका आरम्भ ग्राम पंचायत की प्राथमिक इकाई से लेकर अखिल भारतीय पंचायत के स्तर तक किया गया और प्रत्येक स्तर पर शक्तियाँ सौंपने का प्रावधान रखा गया। उनके अनुसार गाँव न केवल आत्मनिर्भर होने चाहिए वरन जरूरत पड़ने पर पूरी दुनिया से अपनी रक्षा करने में भी समर्थ होने चाहिए। (हरिजन, 28 जुलाई 1946, पृ. 236) गांधी का स्पष्ट मत था कि पंचायती राज में न्याय सस्ता, सुगम होगा और न्याय हेतु ग्रामीणों को उच्च सरकारों पर निर्भरता की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए गांधी ने पंचायती राज को सच्चे लोकतंत्र का प्रतिनिधि बताया है। (ग्राम स्वराज, पृ. 71)

29 जनवरी 1948 को (अपनी मृत्यु से एक दिन पूर्व) गांधी ने लिखा था कि "भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है लेकिन उसे अभी शहरों और कस्बों से भिन्न अपने सात लाख गाँवों के लिए सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना बाकी है।" यह शब्द गांधी के अन्तिम वसीयतनामे के रूप में जाने जाते है। इस वसीयतनामे में उन्होंने ग्राम स्वराज्य का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत कर दिया था। गांधी की ग्राम स्वराज्य अथवा पंचायती राज की अवधारणा, एक ऐसा आदर्श है, जिसके माध्यम से सम्पूर्ण ग्रामवासियों का कल्याण किया जा सकता है। गांधी के अनुसार जिस राष्ट्र के अधिकांश व्यक्ति बाह्य अंकुश के बिना अपना काम व्यवस्थित रूप से अच्छी तरह चलाते है वही राष्ट्र लोकतांत्रिक शासन के योग्य होता है, और जहाँ यह स्थिति नहीं है वहाँ का तंत्र लोकतंत्र भले ही कहलाए, वह वस्तुतः लोकतंत्र नहीं होता। (हरिजन, नोट 2, पृ. 55) गांधी का लोकतंत्र गाँवों के अस्तित्व और छोटे समुदायों को महत्त्व देता है, ताकि पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। पंचायती राज में गांधी ने सत्याग्रह, ग्रामीण

उद्योगों का विकास, प्राथमिक शिक्षा, हस्त उद्योगों का विकास, छुआछूत निवारण, साम्प्रदायिक एकता एवं श्रमिकों का अहिंसक संगठन का होना आवश्यक माना है। गांधी में माना है कि ग्रामीण गणराज्य अहिंसा द्वारा अनजाने में शासित थे पर अब उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पुनर्जीवित करने का प्रयास करना होगा। सबसे अच्छा और प्रभावी तरीका है कि निर्माण कार्य निचले स्तर से प्रारम्भ होना चाहिए और इसके लिए साहसी, व्यावसायिक व विवेकपूर्ण कार्यों की आवश्यकता है। इस प्रकार प्रत्येक गाँव में एक पंचायत होगी, जिसके पास पूर्ण शक्तियाँ होगी और इन शक्तियों के माध्यम से गाँव आत्मनिर्भर होंगे। गांधी आदर्श गाँव की कल्पना करते हैं और उनका विचार है कि प्रत्येक गाँव में अपने लिए स्वयं की खाद्य फसलें, कपडों के लिए कपास, मवेशियों, मनोरंजन, वयस्कों और बच्चों के लिए खेल के मैदान होना चाहिए। इसके बाद भी जगह बचे तो गांजा, तम्बाकू अफीम जैसी चीजों को छोड़कर ऐसी फसलें उगाए जो जीवन व अर्थोपार्जन हेतु उपयोगी हो, गाँव में एक थिएटर, स्कूल, सार्वजनिक हॉल, स्वच्छ जल आपूर्ति, बुनियादी पाठ्यक्रम व शिक्षा जैसे कार्यों को कुशलता पूर्वक किया जाए। जहाँ तक संभव हो सभी कार्य सहकारिता पर आधारित हो।

गांधी ने ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक के पद को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानते हुए कहा है कि ग्राम सेवक ग्राम स्वराज की कल्पना को मूर्त रूप देने वाला सशक्त माध्यम है। पंचायत में ग्राम सेवक हेतु गांधी ने कुछ योग्यताएँ बताई है, यथा—

- ईश्वर में उसकी अगाध श्रद्धा हो।
- वह सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला हो।
- चरित्रवान हो।
- त्याग की भावना हो।
- खादीधारी हो और सूत कातता हो।
- अनुशासित हो।

गांधी ने ग्राम सेवक को कुछ योग्यताएं बताने के साथ ही उसके कर्तव्य भी बताये है, जैसे कि—

- अपने हाथों से सूत काते और खादी पहने
- छुआछूत दूर करें।
- जतियों के बीच एकता का भाव जागृत करें।
- सब धर्मों के प्रति समभाव रखें।
- स्त्री-पुरुष में भेद किए बिना समान अवसर उत्पन्न करें।
- गाँव वालों के व्यक्तिगत सम्पर्क में रहे
- ग्रामीणों में से कार्यकर्ता चुने और उन्हें प्रशिक्षित करें।
- अपने कार्यों का लेखा-जोखा रखें।
- गाँव को संगठित करके कृषि व गृह उद्योगों द्वारा आत्मनिर्भर बनाये।
- ग्रामीणों को सफाई की शिक्षा दे।
- ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाये।
- मतदाता सूची में नये मतदाताओं के नाम जोडें।
- मतदान के लिए प्रोत्साहित करें (हरिजन सेवक 22 फरवरी 1948. पृ. 49-50)

गांधी ने अपना पूरा प्रयत्न किया कि भारत के गाँव लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के आदर्श बने और यही विचार गाँधी को पंचायती राज का पुरोधा बनाता है। गांधी का स्वप्न 'आदर्श गाँव' है और पंचायती राज की कुशलता के अभाव में यह स्वप्न साकार नहीं हो सकता। यद्यपि सिद्धान्तः भारत में पंचायती राज की स्थापना बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप 2 अक्टूबर 1959 को नागौर (राजस्थान) जिले में हुई। इसमें गांधी की स्मृति में गांधी के जन्मदिन की तारीख रखी गई, आखिर पंचायती राज का पहला स्वप्न और आखिरी वसीयतनामा गांधी ने ही देखा और लिखा था। गांधी ने कहा कि पंचायत की शक्ति जितनी अधिक होगी, जनता के लिए उतना ही अच्छा होगा। जनता जागृत हो, इसके लिए जरूरी है कि जनता की शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाया जाए, इससे पंचायत की प्रभावशाली एवं कुशलता में भी वृद्धि होगी। पंचायती राज में किसान को सर्वाधिक महत्त्व मिलना चाहिए, और यह स्वाभाविक भी है। किसान से ही कृषि की उन्नति होती है और उन्नत कृषि कार्य पंचायतों को समृद्ध बनाती है। गांधी पंचायती राज में पुलिस का दखल नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि पंचायतों का काम है गाँव वालों को विवादों से बचने की शिक्षा देना। पंचायतें बिना किसी व्यय के त्वरित न्याय सुनिश्चित करें। गांधी का स्वप्न था कि यदि पंचायत राज सुदृढ़ हो जाता है तो साधारण से साधारण व्यक्ति भी भारत के उच्चतम पद पर पहुंच सकेगा। पंचायती राज व्यवस्था में गांधी ने केवल पंचों व ग्राम सेवक को ही कर्तव्यों से आबद्ध नहीं किया वरन प्रत्येक ग्रामीण को स्वच्छता, स्वास्थ्य, समानता, निर्व्यसन,

श्रमशीलता, चारित्रिक दृढ़ता आदि गुणों को अपनाकर जीवन जीने की अपेक्षा करते है। पंचायती राज लोकतंत्र को मजबूत करता है। जैसा कि अनन्त शयनम् अयंगर ने कहा कि लोकतंत्र के हक में गाँवों को स्वशासन, यहाँ तक कि स्वायत्तता हासिल करने की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। हमारे लिए जरूरी है कि हम गाँवों को सुधारने और शासन के लोकतांत्रिक सिद्धान्तों की जड़ जमाने में समर्थ हो। (संविधान सभा के वाद-विवाद, खण्ड VIII, पृ. 428) संविधान सभा में ग्राम-स्वराज्य की बात उठाने के पीछे दो कारण थे। प्रथमतः अंग्रेजों के काल में ग्रामीण विकास पतन की ओर था और दूसरी और स्वतंत्रता आन्दोलन में गांधी ने ग्राम स्वशासन पर पुरजोर कार्य किया था। अपने जीवन काल में गांधी गाँवों की ओर जाओ का उपदेश देते रहे और स्वयं ने सेवाग्राम में अपना आश्रम बनाया। जहाँ एक छोटे से ग्राम में, कच्ची मिट्टी से बनी कुटिया में सामान्य ग्रामवासी की तरह उन्होंने जीना आरम्भ किया। गांधी ने गाँवों की प्राचीन संस्कृति, कला, कौशल, और शिल्प को पुनजीवित करने के लिय अखिल भारत वर्षीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की।

गांधी ने पंचायत को तीन अधिकार दिए—

1. नियम की रचना (Legislative)
2. न्याय प्रबन्ध (Judiciary)
3. शासन प्रबन्ध (Executive)

गाँधी का यह स्वप्न काफी हद तक आजादी के बाद पूरा भी हुआ किन्तु, दुर्भाग्य से दलगत राजनीति में पंचायती राज को दूषित कर दिया। गांधी के विचारों के विपरीत आज पंचायती राज में धर्म व जाति के आधार पर प्रत्यक्षतः भेदभाव देखे जाते है। गांधी ने पंचायतों को स्वशासन का अधिकार तो दिया किन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया था कि जिस भाव में 'दण्ड' को समझा जाता हो, उस तरह के 'दण्ड' का प्रयोग पंचायतें नहीं कर पायेंगी किन्तु आज हम देखते है कि दलितों पर अत्याचार, डायन प्रथा, जाति बाहर करना, ऑनर किलिंग के अधिकांश मामले ग्रामीण समाज से जुड़े रहते है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि यदि गाँधी के स्वप्न के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन हो और संचालन हो तो राष्ट्र का विकास तीव्र गति से होगा। हमें याद रखना होगा कि गांधी ने कहा था कि विकास नीचे की कड़ी अर्थात् गाँव से शुरू होना चाहिए। इस प्रसंग में 16 अगस्त 1947 को पं जवाहर लाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि "भारतीय संघ के 30 करोड़ व्यक्तियों में से प्रत्येक राजा है क्योंकि उन्होंने जिसकी प्राप्ति की है, वह प्रजा राज्य है परन्तु इसका प्रयोजन यह नहीं है कि चाहे जो करें। उन्हें अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही कार्य करना चाहिए और कानून का पालन करना चाहिए। दिल्ली में बहुत से राजा महाराजा हो गए पर अब राजाओं का युग बीत चुका। यह युग पंचायत राज का युग है। गांधी के साथ-साथ नेहरू ने भी पंचायत राज को सशक्त बनाने पर जोर दिया और बाद में इस पर कार्य भी किया, जिसका पूर्व पृष्ठों में उल्लेख किया जा चुका है।"

सुझाव

पंचायती राज पर गांधी के विचारों का विश्लेषण करने के उपरान्त, वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु निम्नांकित सुझावों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है—

1. पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा को अधिक सशक्त बनाया जाए।
2. ग्राम सभा में प्रत्येक ग्रामीण अनिवार्य रूप से उपस्थित हो।
3. पंचायती राज को सशक्त बनाने हेतु ग्रामीण स्तर पर नीति निर्माण हो।
4. ग्रामीण विकास के कार्यों में पूर्णतः पारदर्शिता हो।
5. ग्रामीणों को जाति व्यवस्था से मुक्त करने का प्रयास हो, जिससे छुआछूत जैसी कुरीति से मुक्त समाज की स्थापना हो सके।
6. पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए।
7. जन-सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए, पंचायत के कार्यों का सार्वजनिक स्थानों पर लिखित में प्रदर्शन किया जाए।
8. पेयजल, विद्युत आपूर्ति, पशुप्रबन्धन, कृषि, सफाई व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा आदि कार्यों को पंचायती राज द्वारा प्राथमिकता दी जाए।

निष्कर्ष

पंचायती राज पर गांधी के अनथक प्रयासों के उपरान्त भी गाँवों का वो विकास नहीं हो पाया, जिसका स्वप्न गांधी ने देखा था। गाँव-गाँव की यात्रा करने के बाद विनोबा भावे ने कहा कि

पहले भारत आजाद गाँवों का आजाद देश था, मुगल काल में आजाद गाँवों का गुलाम देश हुआ, अंग्रेज राज में गुलाम गाँवों का गुलाम देश बना और अब गुलाम गाँवों का आजाद देश है। (सम्पूर्ण कान्ति, पृ. 8) इससे स्पष्ट होता है जैसा गांधी ने सोचा था वैसा स्वराज देश ही आजादी के बाद भी ग्रामीण समाज को नहीं मिला। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि गाँवों का विकास नहीं हो पाया, पहले गाँव अंग्रेजी शासन के गुलाम थे और अंग्रेजों के बाद दिल्ली शासन के गुलाम हो गए। गाँवों को आजादी के बाद विकास के मार्ग पर लाने के लिए जरुरी था कि उनमें चेतना जागृत की जाए, गाँवों की जनता को संगठित करने का प्रयास हो। हर गाँव की अपनी एक ग्राम सभा हो, जिसकी नियमित बैठक हो, गाँवों को अत्मनिर्भर बनाया जाए, अर्थात गाँव के पास अपना जल व जंगल हो, गाँव के हर वर्ग सहृदयता से रहे, उसमें कोई फूट न हो, अलगाव न हो। इसके लिए आन्दोलन चलाए जाए। ग्राम स्वराज्य का कार्य देश के हर कोने में चलाया जाना चाहिए। अतः राष्ट्रीय ग्राम राज्य समिति समन्वय का कार्य करें। (ग्राम स्वराज्य क्षेत्र, पृ. 27) गांधी ने गाँवों को केन्द्रीय शासन के शोषण से बचाने हेतु पंचायती राज, विशेषतः ग्राम पंचायतों का सशक्त करने का रास्ता सुझाया, गांधी ने सत्ता का विकेन्द्रीकरण देश, प्रदेश, जिला, प्रखंड और गाँव तक किया और समस्त इकाइयों के दायित्व स्पष्ट किए, ताकि हर स्तर पर कर्तव्य परिभाषित हो सके। गाँधी के स्वयं के लेखों, वक्तव्यों एवं गांधी के पश्चात् उनके विचारों की व्याख्या में पंचायती राज एक महत्वपूर्ण विचार रहा है। आजादी के बाद से पंचायती राज पर बहुत काम हुआ किन्तु 73वे संविधान संशोधन में पंचायती राज को और मजबूत किया है। अधिकांशतः राज्यों ने पंचायती राज में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण देने के साथ, वंचित वर्ग के लिए भी आरक्षण रखा है। हम उम्मीद करते है, आने वाला समय वैश्विक स्तर पर ग्राम स्वराज के महत्त्व को गांधी के स्वप्न के परिप्रेक्ष्य में महत्त्व देगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. बंग, ठाकुरदास, असली स्वराज, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, वारणसी, 1995
2. गांधी, महात्मा, ग्राम सेना, सत्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, 1969
3. गांधी, महात्मा, हरिजन, 30 दिसम्बर 1939
4. उपर्युक्त
5. शर्मा, एम.एल., गांधी और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, दीप और दीप प्रकाशन, नई दिल्ली, 1987
6. गांधी, एम.के, पंचायती राज, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1959
7. शर्मा, एम.एल., गांधी और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, पृ. 88
8. हरिजन, 28 जुलाई, 1946
9. गांधी, एम.के., ग्राम स्वराज, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, 1962
10. हरिजन, 20.05.1939 एवं 27.05.1939
11. हरिजन सेवक, 22 फरवरी, 1948
12. संविधान सभा के वाद-विवाद, खण्ड VIII पृ. 428, नवम्बर, 17, 1948
13. राही, रामचन्द्र, सम्पूर्ण क्रान्ति, सर्वसेवा प्रकाशन, वाराणसी, 1981
14. अग्रवाल, गंगा प्रसाद, ग्राम स्वराज्य क्षेत्र, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 1993